न्यायालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)

विविध वाद संख्या– 25/2021–22

अनुपमा देवी .... वादी

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य ....प्रतिवादी

आदेश

आदेश एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07/06/22	मननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर WP(C) No 2428/2021 अनुपमा देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य जो मौजा– मनातु , थाना सं0– 76, खाता सं0– 3, 5 एवं 94, प्लॉट सं0– 2004, 1296, 1747, 2003, 2020, 1297, 1754, 2002, 2017 एवं 2019, कुल रकबा– 3.23 एकड़ भूमि का जमाबंदी खोलने एवं रसीद निर्गत करने से संबंधित है, में आवेदक श्रीमति अनुपमा देवी को नोटिस निर्गत किया गया। आवेदक द्वारा लिखित पक्ष समर्पित किया गया। आवेदक के अनुसारः–

मौजा– मनातु के अन्तर्गत खाता सं0–5, प्लॉट सं0– 2004, रकबा– 28 डिसमिल भूमि तथा आर0 एस0 खाता संख्या– 3, प्लॉट संख्या क्रमशः– 1996, 1747, 2003, 2020 एवं खाता संख्या– 5 के अन्तर्गत प्लॉट संख्या क्रमशः– 1297, 1754, 2002, 2004, 2017 एवं 2019, कुल रकबा– 3 एकड़ 93 डिसमिल है जो मुझे डीड संख्या .... के द्वारा मुझे अपनी स्व0 माता भूमिजा देवी पत्नी श्री जगाधरनन्द तिवारी, निवासी– ग्राम– कन्दरी, थाना– मांडर, जिला– राँची, झारखण्ड से दिनांक 28.05.2009 एवं 25.05.2009 को प्राप्त हुआ था जो निबंधित डीड के द्वारा मुझे प्राप्त है जिसमें मेरा स्वामित्व एवं अधिकार है। उक्त डीड का छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।

यह ज्ञातव्य हो कि उक्त खाता प्लॉट की भूमि मेरी स्व0 माता भूमिजा देवी को उनके माता स्व0 बेचन कुंवर पत्नी रिपु सुदन राम मिसिर, निवासी ग्राम– मनातु, तत्कालीन थाना– राँची, थाना सं0– 76 से डीड ऑफ गिफ्ट के माध्यम से प्राप्त है। जिसका डीड संख्या एवं निबंधन की तारीख .... है जिसका कुल रकबा 4 एकड़ 21 डिसमिल है। उक्त डीड ऑफ गिफ्ट का छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

महोदय का ध्यानाकर्षण कराते हुए कहना है कि यह भूमि बेचन कुंवर को अपने पिता स्व0 विशम्भर राम तिवारी से पैतृक अंश एवं उत्तराधिकारिणी होने के नाते प्राप्त है।

ज्ञातव्य हो कि स्व0 विशम्भर राम तिवारी की तीन पत्नियाँ थी जिनसे छः पुत्री थी। बेचन कुंवर पहली पत्नी की प्रथम संतान थी। जिस कारण से उनका स्वत्व, हक प्रथम दृष्टया सम्पति की उत्तराधिकारिणी एवं स्वामिनी घोषित हुई थी। जिसमें कोई विवाद नहीं था, यह संज्ञान हो कि स्व0 विशम्भर राम तिवारी का कोई पुत्र नहीं हुआ था। विशम्भर राम तिवारी से संबंधित वंशावली की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है जो मौजा– मनातु, खाता संख्या– 3, 5 एवं 94, प्लॉट संख्या– 2/2 से संबंधित है।

उक्त खाता प्लाट की भूमि पर दस्तावेज एवं प्रमाणिकता के तौर पर मेरा हक और अधिकार है तथा मैंने उक्त भूमि को निबंधन पट्टा के माध्यम से खरीदा है एवं वंश परंपरा के अनुरूप भी मातृ पक्ष की बेचन कुंवर के स्वविवेक से डीड ऑफ गिफ्ट भूमिजा देवी

Scanned with CamScanner

के नाम से है तथा भूमिजा देवी के स्वाधिकार से निबंधन मेरे नाम से है। तात्पर्य है कि बेचन कुंवर ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने हिस्से की भूमि को अपनी पुत्री भूमिजा देवी को लिखित दस्तावेज के माध्यम से प्रदान किया। तत्पश्चात् भूमिजा देवी ने अपनी पुत्री यानि आवेदिका यानि की मुझे निबंधन डीड के माध्यम से बिक्री कर दिया। आवेदक ने उक्त के आलोक में जमाबंदी खोलते हुए लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है।

संबंधित भूमि का जाँच अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा कराया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि:—

आवेदिका अनुपमा देवी द्वारा मौजा— मनातु, थाना सं0— 76, खाता सं0— 3, 5 एवं 94, प्लॉट सं0— 2004, 1296, 1747, 2003, 2020, 1297, 1754, 2002, 2017, 2019 एवं 655, कुल रकबा— 3.23 एकड़ भूमि का लगान निर्धारण हेतु आवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में प्रश्न भूमि का राजस्व कागजातों से मिलान एवं स्थलीय जाँच किया जो निम्न प्रकार है:—

1. खतियान के अनुसार:—

क्र0	मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	रैयत का नाम
1	मनातु	3	1296	71 डी0	मझीयस
2	मनातु	3	1747	1.09 ए0	मझीयस
3	मनातु	3	2003	12 डी0	मझीयस
4	मनातु	3	2020	1.06 ए0	मझीयस
कुल रकबा				**2.98 ए0**	
5	मनातु	5	2002	8 डी0	वकास्त
6	मनातु	5	2004	36 डी0	वकास्त
7	मनातु	5	1297	3 डी0	वकास्त
8	मनातु	5	1754	89 डी0	वकास्त
9	मनातु	5	2011	42 डी0	वकास्त
10	मनातु	5	2019	14 डी0	वकास्त
कुल रकबा				**1.92 ए0**	
11	मनातु	94	655	1.74 ए0	विशम्भर राम तिवारी

2. राजस्व पंजी II के अनुसार:—

क्र0	खाता	प्लॉट	रकबा	रैयत का नाम	भाग/पृष्ट
1	3	1296	9.5 डी0	चतुरगुन राम तिवारी बेटा— महेश राम तिवारी	1/327
2	3	2020	1.06 ए0	श्रीमति सोनम कूवरी जोजे— राधागोविन्द राम तिवारी	1/379
3	3	1296	7 डी0	राजवन्ती देवी पति प्रभू साव	6/36
4	3	1296	5 डी0	सरिता कुमारी पिता बिनोद प्रसाद गुप्ता	6/42
5	3	1296	12 डी0	उर्मिला देवी पति रामचन्द्र पण्डित	6/43
6	3	1296	12 डी0	आकृति पिता अशोक कुमार ओझा	6/53

4P

Scanned with CamScanner

7	3	1296	12 डी0	अमरेश कुमार पिता मथुरा साव	6/52
8	3	1296	2.5 डी0	संगीता देवी पति मनोज कुमार	7/16
9	3+5	1296 1297	8 डी0 3 डी0	उर्मिला देवी पति रामचन्द्र पंडित	6/79
10	5	2004	1.5 डी0	राजीव कुमार पिता मदन प्रसाद	4/42

3. **दखल कब्जा**:– स्थलीय जाँच के क्रम में पाया कि मौजा– मनातु थाना सं0– 76, खाता सं0– 3+5 प्लॉट सं0– 2004, 1296, 1747, 2003, 2020, 1297, 1754, 2002, 2011 एवं 2019 पर अनुपमा देवी का दखल–कब्जा नहीं है।
4. **आपत्ति आवेदन**:– श्री निरंजन राम तिवारी, रामानुज राम तिवारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में आपत्ति आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आपत्ति आवेदन में उल्लेख किया गया है कि:– "हमलोग (1) निरंजन राम तिवारी पिता स्व0 गोपाल राम तिवारी (2) रामानुज राम तिवारी पिता स्व0 राधागोविन्द तिवारी दोनों निवासी ग्राम+पो0– पाली, थाना– रातु, जिला– राँची (झा0) का स्थाई निवासी है। आगे हमलोगों का जमीन मौजा– मनातु, थाना– काँके थाना न0– 76, हल्का न0– 2, खाता– 05, प्लॉट न0– 1297, 2020, 2002, 2003, 2004, 2017, 2019, 1747, 1754 एवं खाता न0– 3, प्लॉट न0– 1296 के अलावे अन्य प्लॉट में दादा चतुरगुण राम तिवारी के नाम से जमीनदारी उन्नमुलन के पश्चात् लगान निर्धारण वाद सं0 (M Form case No 4R8I/1963–1964) के माध्यम से मेरे दादा चतुरगुण राम तिवारी के नाम से जमाबंदी कायम है तथा लगान रसिद निर्गत होता चला आ रहा है। तत्पश्चात् सन् 1973 में चतुरगुण राम तिवारी के द्वारा अपने पोता निरंजन राम तिवारी को खाता नं0– 05, प्लॉट नं0– 1747, 1754, 2019 के अलावे अन्य प्लॉट को एक निबंधित दान पत्र के द्वारा दान कर दिया जिसका दान पत्र संख्या– 11426, सन् 1973 है। तत्पश्चात् निरंजन राम तिवारी के द्वारा काँके अंचल कार्यालय में लगान निर्धारण वाद संख्या– 454/1979–80 के द्वारा लगान निर्धारण करा के काँके अंचल के पंजी II के भोलुम 1, पेज न0– 377 में दर्ज है तथा लगान रसिद निर्गत चला आ रहा है। तत्पश्चात् सन् 1973 ई0 में चतुरगुण राम तिवारी के द्वारा अपने पोता (1) रामानुज राम तिवारी (2) रामानुग्रह तिवारी (दोनो नाबालिग) द्वारा माता शोभन कुँवरी प्राकृतिक अभिवाक के नाम खाता नं0– 05, प्लॉट नं0– 2020, 2002, 2003, 2004, 2017 के अलावे अन्य प्लॉटो के जमीन को एक निबंधित दान पत्र के द्वारा दान दे दिया जिसका दान पत्र संख्या– 11425 वर्ष 1973 है। तत्पश्चात् शोभन कुँवरी के द्वारा काँके अंचल कार्यालय में लगान निर्धारण वाद सं0– 456/1979–80 के द्वारा लगान निर्धारण करा कर काँके अंचल के पंजी II के भोलुम 1 पृष्ट सं0– 379 में दर्ज है तथा लगान रसिद निर्गत होता चला आ रहा है एवं उपरोक्त वर्णित खाता, प्लॉट की जमीन पर हमलोगों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि का श्रीमति अनुपमा देवी के द्वारा लगान निर्धारण का प्रयास किया जा रहा जिसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र में ग्राम प्रधान एवं 29 ग्रामवासियों का हस्ताक्षर है (प्रति संलग्न)।
5. **मंतव्य**:– मौजा– मनातु, थाना सं0– 76, खाता सं0– 3, खतियानी रैयत– मंझियस, खाता सं0– 5, खतियानी रैयत– वकास्त एवं खाता सं0– 94, खतियानी रैयत– विशम्भर राम तिवारी के नाम से दर्ज है। पंजी II में विभिन्न व्यक्तियों के नाम से

Scanned with CamScanner

जमाबंदी कायम है एवं उक्त भूमि पर अनुपमा देवी का दखल कब्जा नहीं है। मौजा–मनातु के ग्रामीणों द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण नहीं करने के संबंध में आपत्ति समर्पित किया गया है (प्रति संलग्न)। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है एवं विवादित है। यह स्वत्व का मामला है। जिसका निपटारा व्यवहार न्यायालय में किया जा सकता है। अतः अनुपमा देवी द्वारा समर्पित आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा उक्त भूमि का जमाबंदी खोलने एवं रसीद निर्गत करने हेतु आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन को खारिज करने की अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य से यह स्वत्व का मामला प्रतीत होता है जिसका निपटारा व्यवहार न्यायालय से किया जा सकता है। अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी खोलने एवं रसीद निर्गत करने हेतु आवेदक श्रीमति अनुपमा देवी द्वारा समर्पित आवेदन को खारिज किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
काँके, राँची।
07/06/22

अंचल अधिकारी
काँके, राँची।
07/06/22

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

विषयः– **माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(C) No 2428/2021 अनुपमा देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदिका अनुपमा देवी द्वारा मौजा– मनातु, थाना सं0– 76, खाता सं0– 3, 5 एवं 94, प्लॉट सं0– 2004, 1296, 1747, 2003, 2020, 1297, 1754, 2002, 2017, 2019 एवं 655, कुल रकबा– 3.23 एकड़ भूमि का लगान निर्धारण हेतु आवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में प्रश्न भूमि का राजस्व कागजातों से मिलान एवं स्थलीय जाँच किया जो निम्न प्रकार हैः–

प्रे.प्र. 28/5/22

1. खतियान के अनुसारः–

क्र0	मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	रैयत का नाम
1	मनातु	3	1296	71 डी0	मझीयस
2	मनातु	3	1747	1.09 ए0	मझीयस
3	मनातु	3	2003	12 डी0	मझीयस
4	मनातु	3	2020	1.06 ए0	मझीयस
	कुल रकबा			**2.98 ए0**	
5	मनातु	5	2002	8 डी0	वकास्त
6	मनातु	5	2004	36 डी0	वकास्त
7	मनातु	5	1297	3 डी0	वकास्त
8	मनातु	5	1754	89 डी0	वकास्त
9	मनातु	5	2011	42 डी0	वकास्त
10	मनातु	5	2019	14 डी0	वकास्त
	कुल रकबा			**1.92 ए0**	
11	मनातु	94	655	1.74 ए0	विशम्भर राम तिवारी

2. राजस्व पंजी II के अनुसारः–

क्र0	खाता	प्लॉट	रकबा	रैयत का नाम	भाग/पृष्ट
1	3	1296	9.5 डी0	चतुरगुन राम तिवारी बेटा– महेश राम तिवारी	1/327
2	3	2020	1.06 ए0	श्रीमति सोनम कूवरी जोजे– राधागोविन्द राम तिवारी	1/379
3	3	1296	7 डी0	राजवन्ती देवी पति प्रभू साव	6/36
4	3	1296	5 डी0	सरिता कुमारी पिता बिनोद प्रसाद गुप्ता	6/42
5	3	1296	12 डी0	उर्मिला देवी पति रामचन्द्र पण्डित	6/43
6	3	1296	12 डी0	आकृति पिता अशोक कुमार ओझा	6/53
7	3	1296	12 डी0	अमरेश कुमार पिता मथुरा साव	6/52
8	3	1296	2.5 डी0	संगीता देवी पति मनोज कुमार	7/16
9	3+5	1296 1297	8 डी0 3 डी0	उर्मिला देवी पति रामचन्द्र पंडित	6/79
10	5	2004	1.5 डी0	राजीव कुमार पिता मदन प्रसाद	4/42

Scanned with CamScanner

3. **दखल कब्जाः–** स्थलीय जाँच के क्रम में पाया कि मौजा– मनातु थाना सं0– 76, खाता सं0– 3+5 प्लॉट सं0– 2004, 1296, 1747, 2003, 2020, 1297, 1754, 2002, 2011 एवं 2019 पर अनुपमा देवी का दखल–कब्जा नहीं है।
4. **आपत्ति आवेदनः–** श्री निरंजन राम तिवारी, रामानुज राम तिवारी के द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में आपत्ति आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आपत्ति आवेदन में उल्लेख किया गया है किः– "हमलोग (1) निरंजन राम तिवारी पिता स्व0 गोपाल राम तिवारी (2) रामानुज राम तिवारी पिता स्व0 राधागोविन्द तिवारी दोनों निवासी ग्राम+पो0– पाली, थाना– रातु, जिला– राँची (झा0) का स्थाई निवासी है। आगे हमलोगों का जमीन मौजा– मनातु, थाना– काँके थाना न0– 76, हल्का न0– 2, खाता– 05, प्लॉट न0– 1297, 2020, 2002, 2003, 2004, 2017, 2019, 1747, 1754 एवं खाता न0– 3, प्लॉट न0– 1296 के अलावे अन्य प्लॉट में दादा चतुरगुण राम तिवारी के नाम से जमीनदारी उन्नमुलन के पश्चात् लगान निर्धारण वाद सं0 (M Form case No 4R8I/1963–1964) के माध्यम से मेरे दादा चतुरगुण राम तिवारी के नाम से जमाबंदी कायम है तथा लगान रसिद निर्गत होता चला आ रहा है। तत्पश्चात् सन् 1973 में चतुरगुण राम तिवारी के द्वारा अपने पोता निरंजन राम तिवारी को खाता नं0– 05, प्लॉट नं0– 1747, 1754, 2019 के अलावे अन्य प्लॉट को एक निबंधित दान पत्र के द्वारा दान कर दिया जिसका दान पत्र संख्या– 11426, सन् 1973 है। तत्पश्चात् निरंजन राम तिवारी के द्वारा काँके अंचल कार्यालय में लगान निर्धारण वाद संख्या– 454/1979–80 के द्वारा लगान निर्धारण करा के काँके अंचल के पंजी II के भोलुम 1, पेज न0– 377 में दर्ज है तथा लगान रसिद निर्गत चला आ रहा है। तत्पश्चात् सन् 1973 ई0 में चतुरगुण राम तिवारी के द्वारा अपने पोता (1) रामानुज राम तिवारी (2) रामानुग्रह तिवारी (दोनो नाबालिग) द्वारा माता शोभन कुँवरी प्राकृतिक अभिवाक के नाम खाता नं0– 05, प्लॉट नं0– 2020, 2002, 2003, 2004, 2017 के अलावे अन्य प्लॉटो के जमीन को एक निबंधित दान पत्र के द्वारा दान दे दिया जिसका दान पत्र संख्या– 11425 वर्ष 1973 है। तत्पश्चात् शोभन कुँवरी के द्वारा काँके अंचल कार्यालय में लगान निर्धारण वाद सं0– 456/1979–80 के द्वारा लगान निर्धारण करा कर काँके अंचल के पंजी II के भोलुम 1 पृष्ट सं0– 379 में दर्ज है तथा लगान रसिद निर्गत होता चला आ रहा है एवं उपरोक्त वर्णित खाता, प्लॉट की जमीन पर हमलोगों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि का श्रीमति अनुपमा देवी के द्वारा लगान निर्धारण का प्रयास किया जा रहा जिसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र में ग्राम प्रधान एवं 29 ग्रामवासियों का हस्ताक्षर है (प्रति संलग्न)।
5. **मंतव्यः–** मौजा– मनातु, थाना सं0– 76, खाता सं0– 3, खतियानी रैयत– मंझियस, खाता सं0– 5, खतियानी रैयत– वकास्त एवं खाता सं0– 94, खतियानी रैयत– विशम्भर राम तिवारी के नाम से दर्ज है। पंजी II में विभिन्न व्यक्तियों के नाम से जमाबंदी कायम है एवं उक्त भूमि पर अनुपमा देवी का दखल कब्जा नहीं है। मौजा– मनातु के ग्रामीणों द्वारा प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण नहीं करने के संबंध में आपत्ति समर्पित किया गया है (प्रति संलग्न)। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है एवं विवादित है। यह स्वत्व का मामला है। जिसका निपटारा व्यवहार न्यायालय में किया जा सकता है। अतः अनुपमा देवी द्वारा समर्पित आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.23 17:08:47 +05:30
Location: 192.168.29.226

राजस्व उप निरीक्षक | अंचल अमीन | अंचल निरीक्षक

Scanned with CamScanner